संख्या-10/2026/341/80-1-2026/80-1099/151/2021

प्रेषक,

रविन्द्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन|

सेवा में,

निदेशक,
मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ|

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1 **लखनऊ:दिनांक 29 जून, 2026**

विषय- मण्डी परिसर के अन्दर खाद्य तेलों के व्यापार पर लगने वाले यूजर चार्ज की व्यवस्था को सशर्त समाप्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-विप०-1/यू०चा०(खाद्य तेल)(ई-फाइल)/2024-19 दिनांक 11.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मण्डी परिषद के मा० संचालक मण्डल की 170 वीं बैठक दिनांक 16.07.2024 के मद संख्या-8 पर वर्णित प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय के क्रम में मण्डी परिसर के अन्दर खाद्य तेलों के व्यापार पर लगने वाले यूजर चार्ज की व्यवस्था को इस शर्त के साथ समाप्त करने के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है कि यदि किसी व्यापारी द्वारा खाद्य तेल के अतिरिक्त अन्य कृषि उत्पाद, जिन पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस या प्रयोक्ता प्रभार उद्ग्रहीत किया जाता है, का भी व्यापार किया जाता है, तो उन विनिर्दिष्ट व गैर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के व्यापार पर लगने वाले मण्डी शुल्क/विकास सेस/प्रयोक्ता प्रभार के समतुल्य खाद्य तेल के व्यापार पर लगने वाले प्रयोक्ता प्रभार से छूट दी जायेगी।

2- अवगत कराना है कि शासन की अधिसूचना संख्या-07/2026/336/80-1-2026/80-1099/151/2021 दिनांक 05.06.2026 द्वारा उ०प्र० कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम 66-क में संशोधन करते हुए राज्य सरकार को किसी गैर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर प्रयोक्ता प्रभार से छूट देने की व्यवस्था की गई है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत उ०प्र० कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 (यथासंशोधित, 2026) के नियम-66-क में दी गई व्यवस्था के आलोक में मण्डी परिसर के अन्दर खाद्य तेलों के व्यापार पर लगने वाले यूजर चार्ज के संबंध में, यदि किसी व्यापारी द्वारा खाद्य तेल के अतिरिक्त अन्य कृषि उत्पाद, जिन पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस उद्ग्रहीत किया जाता है, का भी व्यापार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

किया जाता है, तो उक्त व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में व्यापार किये गये विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के व्यापार पर लगने वाले मण्डी शुल्क एवं विकास सेस के किये गये भुगतान की सीमा तक खाद्य तेल के व्यापार पर लगने वाले प्रयोक्ता प्रभार से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

कृपया उक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।